संख्या- 22/2021/ 490/30-3-2021

प्रेषक,

मदन मोहन,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 05 मार्च, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, जालौन में निर्माणाधीन सारथी हॉल के निर्माण हेतु अवशेष/द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-331ए/2021-167ए/2019, दिनॉक 08-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यदायी संस्था-यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, जालौन में निर्माणाधीन सारथी हॉल के निर्माण हेतु अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 104.84 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों (सीतापुर, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, बागपत, औरैया एवं अन्य दो पूर्व निर्मित) में सारथी हॉल का निर्माण-24-बृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख के सापेक्ष सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, जालौन में निर्माणाधीन सारथी हॉल के निर्माण हेतु अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 104.84 लाख (रू0 एक करोड़ चार लाख चौरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की नीचे उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	समिति द्वारा अनुमोदित/संस्तुत लागत (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)	द्वितीय/अवशेष किश्त के रूप में निर्गत किये जाने हेतु अनुमादित धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, जालौन में सारथी हॉल का निर्माण।	यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	219.84	115.00	104.84 (रू0 एक करोड़ चार लाख चौरासी हजार मात्र)

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयॉ मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिय है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा कियी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(6) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों (सीतापुर, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, बागपत, औरैया एवं अन्य दो पूर्व निर्मित) में सारथी हॉल का निर्माण-24-बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-22/2021/490(1)/30-3-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जालौन।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।